भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3981

बुधवार, 18 मार्च , 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

चेन्नई-बेंगलुरू औद्योगिक गलियारा

3981. श्री केसिनेनी श्रीनिवासः

श्री ए. नारायण स्वामीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सभी औद्योगिक नोडों विशेषकर कृष्णापट्नम नोड पर चेन्नई-बेंगलुरू औद्योगिक गलियारे के विकास और उन्नयन की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त नोड के विकास और उन्नयन के लिए आवंटित और जारी भूमि अधिग्रहण निधियों का ब्यौरा क्या है और उक्त के लिए चलाई जा रही विकास परियोजनाएं कौन-सी हैं; और

(ग) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से सभी संगत अनुमतियां प्राप्त हो गई हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क)और(ख): सम्पूर्ण चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक कॉरीडोर (सीबीआईसी) के लिए परिप्रेक्ष्य योजना पूर्ण हो चुकी है। तीन नोड्स नामतः (i) कृष्णापटनम , आंध्र प्रदेश (ii) तुमकुरु , कर्नाटक और (iii) पोन्नेरी , तमिलनाडु को चरण -1 में विकास के लिए चिह्नित किया गया है। नोड-वार प्रगति का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

(i) <u>कृष्णापटनम (आंध्र प्रदेश)</u>

शेयरहोल्डर समझौता (एसएचए) और राज्य सहायता समझौता (एसएसए) निष्पादित किया गया है और एक एसपीवी, नामत: 'एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम औद्योगिक नगर विकास लि.' को राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) और राज्य सरकार के बीच निगमित कर दिया गया है। एनआईसीडीआईटी ने पहले ही एसपीवी को 2.50 करोड़ रुपये की राशि परियोजना में अपनी प्रारंभिक इक्विटी योगदान के रूप में जारी कर दी है। 2500 एकड़ के एक्टीवेशन एरिया पर इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसमें से लगभग 2180 एकड़ भूमि आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकार में है। एनआईसीडीआईटी द्वारा 2139.44 करोड़ रुपये (भूमि की

लागत सहित) की राशि के परियोजना प्रस्ताव पर 30 अगस्त 2019 को आयोजित अपनी बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) का मूल्यांकन और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

(ii) <u>तुमकुरु (कर्नाटक)</u>

एसएचए और एसएसए का निष्पादन कर दिया गया है और एक एसपीवी नामत: 'तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड' को एनआईसीडीआईटी और कर्नाटक सरकार में निगमित कर दिया गया है। एनआईसीडीआईटी ने पहले ही एसपीवी को 2.50 करोड़ रुपये की राशि परियोजना में अपने प्रारंभिक इक्विटी योगदान के रूप में जारी कर दी है। 1736 एकड़ के एक्टीवेशन एरिया पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसमें से लगभग 1722 एकड़ भूमि कर्नाटक सरकार के अधिकार में है। एनआईसीडीआईटी द्वारा 1701.81 करोड़ रुपये (भूमि की लागत सहित) की राशि के परियोजना प्रस्ताव का 30 अगस्त 2019 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन प्रदान कर दिया है। सीसीईए का मूल्यांकन और स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

(iii) <u>पोन्नेरी (तमिलनाडु)</u>

एसएचए और एसएसए एनआईसीडीआईटी और तमिलनाडु सरकार के बीच 21 फरवरी 2020 को निष्पादित किया गया है। विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग तैयार करने के लिए परामर्शदाता के चयन से संबंधित गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं।

(ग): आंध्र प्रदेश राज्य को शीघ्र निम्नलिखित कार्यों को करने की आवश्यकता है:

I. 14000 एकड़ भूमि माप वाले कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र के लिए सम्पूर्ण मास्टर प्लान की अधिसूचना,;

ii. लगभग 2180 एकड़ भूमि राज्य सरकार के अधिकार में है। तदनुसार, शेष 170 एकड़ भूमि के अधिग्रहण में तेजी लाने की आवश्यकता है;

iii. सीसीईए द्वारा परियोजना के अनुमोदन प्रदान करके, तत्काल एसपीवी को सम्पूर्ण 2500.4 एकड़ भूमि का अंतरण;

iv. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अंतिम पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त के लिए राज्य सरकार से निम्नलिखित स्पष्टीकरण लिए जाएं:

क) यह साइट 'पुलिकट बर्ड अभ्यारण्य और 'टर्टल नेस्टिंग साइट' के 'इको सेंसिटिव जोन' (ईएसजेड) की सीमा से बाहर है;

ख) वन क्षेत्र के भीतर आने वाली साइट का सटीक क्षेत्र; और

ग) प्रस्तावित साइट के भीतर आने वाले रेत के टीलों की स्थिति।

******